संख्या-91/2022 /1395189/12-3099/71/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0 लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

विषय: सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के क्रियान्वयन एवं सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

निरन्तर बढ़ती आबादी को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निरन्तर अधिक उत्पादन की दर बनाए रखना अपरिहार्य है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में उन्नत कृषि यंत्रों का सघन प्रयोग आवश्यक है, जिससे जहाँ एक ओर कृषि कार्य समय से हो जाते हैं, वहीं उत्पादन लागत में भी कमी आती है। प्रदेश में लगभग 92 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमान्त हैं, जिनकी जोत भी कम है एवं आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यंत्रों का क्रय कर सकें। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में चलायी जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल सीड्स) एवं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ट्री बार्न आयल सीड्स) कृषि यंत्रीकरण के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्डयू योजना आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा **'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन'** योजना की रिवाइज्ड आपरेशनल गाइड लाइन में उल्लिखित नियमों/ शर्तों के अनुसार किये जायेंगे। योजना की आपरेशनल गाइड लाइन भारत सरकार की वेब साइट **farmech.dac.gov.in** पर उपलब्ध है।

1. **<u>लाभार्थी चयन एवं अनुदान वितरण की प्रक्रिया:-</u>**

i. वार्षिक अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष पूर्व वर्षों के दायित्वों को घटाते हुये लक्ष्य निर्धारित कर चयन किया जाये।

ii. योजना के निर्धारित लक्ष्यों के 100 प्रतिशत तक बुकिंग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। जिसमें "पहले आओ-पहले पाओ" के सिद्धान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा।

iii. लक्ष्य की सीमा में लाभार्थियों की संख्या पूरी नहीँ होंने पर प्रतीक्षा सूची वरिष्ठता के क्रम में ली जायेगी।

iv. पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर किसान/लाभार्थी पंजीकरण हेतु आधार को अनिवार्य किया गया है। किसी कृषक/लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं होने पर किसान के द्वारा आधार कार्ड हेतु की गयी आवेदन का इनरोलमेन्ट संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

v. योजनान्तर्गत कृषक, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति एवं एफ0पी0ओ0 लाभार्थी होंगे।

vi. समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु टोकन निर्गत किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नं0 बंद होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जायेगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक कि लाभार्थी वेरिफिकेशन हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था आरम्भ नहीं होती है।

vii. जैसे-जैसे बजट की धनराशि प्राप्त होगी वैसे-वैसे टोकन कन्फर्म होंगे। जिससे दायित्व अवशेष न रह जाये।

चयनित सूची (टोकन कन्फर्म होने की तिथि से) में से यदि कोई लाभार्थी चयन की सूचना दिये जाने के बाद भी निर्धारित समयावधि में यंत्र क्रय किए जाने विषयक साक्ष्य निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है, तो उक्त का नाम लाभार्थी सूची से पृथक करते हुए प्रतीक्षा सूची में क्रमवार सबसे ऊपर चयनित लाभार्थी को योजना में आच्छादित किया जायेगा।

http://sharanabad.up.gov.in

viii. चयनित लाभार्थियों (टोकन कन्फर्म होने की तिथि से) एवं प्रतीक्षा सूची को पोर्टल पर प्रकाशित करने के साथ ही चयन के विषयगत एक पूर्व निर्धारित मैसेज चयनित लाभार्थी के पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन के समय उपलब्ध कराये गये मोबाइल नवम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भी भेजा जायेगा।

ix. लाभार्थियों को बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा (कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा)। यदि समयान्तर्गत क्रय कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे कृषक का चयन कर दिया जायेगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

x. चयनित लाभार्थी सम्बन्धित जिले का होना चाहिए।

2. **<u>सत्यापन व डी0बी0टी0:-</u>**

(i) कृषि यंत्र/उपकरण क्रय के सत्यापन की व्यवस्था जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा विकास खण्डवार नामित कर्मचारी के माध्यम से करायी जाएगी। सत्यापनकर्ता को किसान द्वारा क्रय किए गए यंत्र पर किसान का पारदर्शी सेवा योजना के पोर्टल पर उपलब्ध किसान का पंजीकरण संख्या, नाम तथा गॉव एवं विकास खण्ड के नाम का उल्लेख परमानेन्ट मार्कर से करते हुए अपना हस्ताक्षर करना होगा। कृषक द्वारा राजकीय कृषि बीज भण्डार अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय पर भी कृषि यंत्र लाकर सत्यापन कराया जा सकता है।

(ii) एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में से कोई एक) को एक वित्तींय वर्ष में योजनान्तार्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को सिवाए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, उक्त श्रेणी के कृषि यंत्र सम्बन्धित कृषक को आगामी वर्षों में (05 वर्ष तक) पुन: अनुदान हेतु अनुमन्य नहीं होंगें। 05 वर्ष की अवधि के पश्चात ही सम्बन्धित कृषक पुन: उसी प्रकार के कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु अर्ह होगा। स्थापित किए गए फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के साथ अलग से क्रय किए गए ट्रैक्टर/कम्बाइन को लाभार्थी द्वारा 10 वर्ष के उपरान्त ही पुन: अनुदान पर क्रय किया जा सकेगा।

(iii) लाभार्थियों के द्वारा बिल एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जिस क्रम में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उसी क्रम में जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उन लाभार्थियों के यंत्रों का सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा।

(iv) अभिलेख अपलोड करने की तिथि से दो सप्ताह में यंत्र एवं अभिलेख का सत्यापन किया जाना होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी यंत्र की फोटो खींच कर विभागीय पोर्टल पर यंत्रों के सीरियल नवम्बर फीड करेंगे एवं अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सत्यापन रिपार्ट अपलोड करेंगे। मानव चालित/पशु चालित यंत्रों की स्थिति में सीरियल नवम्बर फीड करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(v) अगर विभागीय अधिकारियों द्वारा 15 दिन के अन्दर सत्यापन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध निर्धारित मानी जायेगी और उनका वेतन भी रोक दिया जायेगा।

(vi) अगर बिल अपलोड करने के पश्चात सत्यापन के समय मौके पर यंत्र नहीं मिलता है तो आवेदन निरस्त कर उस विक्रेता को भी ब्लैक-लिस्ट किया जायेगा, जिसके द्वारा इस प्रकार का फर्जी बिल निर्गत किया गया।

(vii) मानवचालित/पशुचालित यंत्रों को छोड़कर शाक्तिचालित समस्त कृषि यंत्रों में यूनिक सीरियल नम्बर डालना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे इन-वैलिड मानकर कार्यवाही की जायेगी।

(viii) निर्धारित समयावधि में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वत: निरस्त हो जायेगा। यह व्यवस्था पोर्टल द्वारा ही होगी तथा प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वत: चयनित हो जायेगा और उसे मैसेज जायेगा।

(ix) सत्यापनोपरान्त सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करते हुए डी0बी0टी0 की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सम्पादित करायी जायेगी।

(x) कृषकों द्वारा अनुदान पर प्राप्त होने वाले समस्त कृषि यंत्रों को 05 वर्ष तक नहीं बेचा जा सकेगा। यदि अनुदान पर प्राप्त यंत्र बेचा जाता है, तो सम्बन्धित लाभार्थी को प्राप्त अनुदान की वसूली की जाएगी एवं लाभार्थी को विभाग द्वारा संचालित अन्य किसी योजना के लाभ से भी वंचित कर दिया जायेगा।

(xi) उक्त के अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लाभार्थियों से प्राप्त किए जाने वाले शपथ पत्र/घोषणा पत्र की भॉति ही रू0 50000/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों से भी इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि यदि अनुदान पर प्राप्त यंत्र बेचा जाता है, तो संबंधित लाभार्थी

http://shasanadesh.up.gov.in

को प्राप्त अनुदान की वसूली की जाएगी एवं लाभार्थी को विभाग द्वारा संचालित अन्य किसी योजना के लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा।

(xii) रू0 50000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन किसी भी वर्ग के प्राविधिक सहायक, अवर अभियन्ता अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है। रू0 50000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर प्राविधिक सहायक, वर्ग-ए, बी, सी एवं अवर अभियन्ता में से किन्ही दो भिन्न वर्ग के कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापित रिपोर्ट उप कृषि निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

(xiii) चयन की तिथि (टोकन कन्फर्म होने की तिथि) से पूर्व क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(xiv) समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान राशि नियमानुसार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।

(xv) पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आवंटित बजट/आहरण सीमा अन्तर्गत बैंक के माध्यम से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में लेखांकन, महालेखाकार, सम्प्रेक्षण एवं विभागीय सम्प्रेक्षण के दृष्टिगत निम्नलिखित अभिलेख तैयार किए जायेंगे:-

(1) बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (अनुदान संख्या-11 (सामान्य) एवं अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट) में मानक मदवार आवंटित आहरण सीमा अन्तर्गत)।

(2) रोकड़ बही।

(3) बैंक समाधान विवरण।

(4) व्यय विवरण अनुदान संख्यावार/मानक मदवार प्रत्येक माह।

3- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति:-

शासनादेश संख्या: 1202/12-3-2014-100(5)/2014, दिनांक 30 मई, 2014 के क्रम में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के उद्देश्यों के अनुरूप जनपद में योजना के संचालन, लाभार्थी चयन, अनुश्रवण एवं भुगतान आदि के लिए उत्तरदायी होंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	समिति का पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक/परियोजना निदेशक (आत्मा)	सदस्य सचिव
3	जिला उद्यान अधिकारी	सह सदस्य सचिव
4	जिला गन्ना अधिकारी	01-सदस्य
5	जिला कृषि अधिकारी	01-सदस्य
6	नामित प्रगतिशील कृषकगण	05-विशेष सदस्य
7	सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधिगण	02-विशेष सदस्य
8	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि/कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण अनुभाग के नामित वैज्ञानिक	01-विशेष सदस्य
9	नाबार्ड/लीड बैंक के प्रतिनिधि	01-विशेष सदस्य

4. सत्यापन के समय ध्यान देने हेतु आवश्यक बिन्दु:-

4.1- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर योजना एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्र प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आपूर्तित कृषि यंत्रों पर योजना का नाम, वर्ष तथा जनपद का नाम, कृषि यंत्र पर पेन्ट से लिखवाया जाना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन के समय रू0 10,000/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के विक्रय बाऊचर पर अंकित सीरियल नम्बर का मिलान यंत्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser cutting) सीरियल नम्बर से करते हुए सत्यापन रिपोर्ट पर अवश्य अंकित किया जाए।

4.2- सभी यंत्रों का भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

http://shasandesh.up.gov.in

4.3- वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता अपने मण्डल के समस्त जनपदों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की शतप्रतिशत सत्यापन कर रिपोर्ट/आख्या अपने मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, अभियंत्रण अनुभाग को प्रेषित करेंगें। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों का 20 प्रतिशत सत्यापन भी मण्डलीय सहायक कृषि अभियंता द्वारा किया जाएगा।

4.4- प्रत्येक जनपद योजनान्तर्गत देय लाभों व प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे, ताकि किसानों को योजना की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके।

4.5- कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत क्रय किए गए कृषि यंत्रों के सत्यापन के समय ही **"Farms mobile App"** पर कृषि यंत्रों का विवरण अपलोड किया जाएगा।

4.6- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना तथा योजना में सम्मिलित नये कृषि यंत्रों का जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यम से यथा प्रेस-नोट, गोष्ठी, किसान पाठशाला आदि के द्वारा व्यापक रूप से कराया जाए, जिससे इच्छुक लाभार्थी कृषक अपना पंजीकरण करा सकें।

5. <u>फाइनेन्शियल असिस्टेण्ट फॉर प्रोक्योमेण्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर देय अनुदान</u>:-

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यंत्र जैसे-हैरो, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/ सीड ड्रिल, लेजर लैण्ड लेवलर, रोटोवेटर, सेल्फप्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लाण्टर, थ्रेसर/मल्टीक्रॉप थ्रेसर, स्ट्रा रीपर आदि क्रय कर सकें। अत: प्रदेश के कृषकों तक कृषि यंत्रीकरण का लाभ पहुंचाने हेतु योजनान्तर्गत अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से प्रदेश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सके। **देय अनुदान का विवरण संलग्नक-1 में है।**

6. <u>अनुदान पर वितरित किए जाने वाले यंत्रों की विशिष्टियॉं/मानक का निर्धारण:-</u>

भारत सरकार के केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा परीक्षण किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। रू0 10,000/- से अधिक कीमत के यंत्रों को या तो भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण पत्र अर्थात आई0एस0आई0 गुणवत्ता का मार्क प्राप्त हो या उपरोक्त उल्लिखित संस्थाओं द्वारा यंत्रों का परीक्षण कर पास किया गया हो।

7. <u>कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना:-</u>

विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान देय है। कम फार्म पावर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे किसान इन केन्द्रों से किराए पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

7.1 **<u>उद्देश्य :-</u>**

(i) विकास खण्ड/गांव स्तर पर कार्य फार्म पावर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।

(ii) कृषि के विभिन्न कार्यो के निष्पादन हेतु संबंधित कृषि यंत्रों को किराए पर सेवा उपलब्ध कराना।

(iii) लघु एवं सीमान्त जोतों को फसलों के मौसम में यंत्रीकरण की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना।

(iv) कस्टम हायरिंग सेन्टरों पर कृषि यंत्रों एवं मशीनों के क्रियान्वयन एवं मरम्मत प्रक्रिया हेतु कृषि यंत्र निर्माताओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों का सहयोग प्राप्त करना।

(v) फसल उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत एवं आधुनिकतम विकसित कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।

7.2 **<u>लाभार्थी</u>**:-

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए कृषक, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना में ग्राम पंचायत भी लाभार्थी हो सकती हैं। ग्राम पंचायतों के पास धनराशि उपलब्ध होने की दशा में 40 प्रतिशत अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की बुकिंग कर सकेंगे।

7.3 **<u>परियोजना लागत</u>**:-

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4.00 लाख) अनुदान देय होगा।

7.4 **<u>कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु निर्धारित यंत्र व प्रक्रिया</u>**:-

(i) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना में कस्टम हायरिंग केन्द्रों हेतु यंत्रों का निर्धारण क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों/आवश्यकता को देखते हुए लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाएगा तथा यह ध्यान रखा जाए कि एस0एम0ए0एम0 योजना के सभी कृषि यंत्रों का भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 (FMTTI) एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। इसमें जुताई, बुवाई, कटाई, सिंचाई, मड़ाई, छिड़काव, समतलीकरण, निराई, गुड़ाई एवं प्रसंस्करण/पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी इत्यादि मशीनों को यथावश्यक सम्मिलित किया जा सकता है।

(ii) यंत्र क्रय करने के लिए कृषक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। यह ऋण दो प्रकार का होगा। पहला- लाभार्थी अपने कृषक अंश हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि सहित पूर्ण धनराशि का ऋण प्राप्त कर सकता है। अपने कृषक अंश हेतु प्राप्त ऋण का जमा लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा। विभाग द्वारा देय अनुदान की धनराशि का समायोजन कृषक को दिए गए ऋण से की जाए तथा स्थानान्तरित अनुदान की धनराशि पर अनुदान हस्तान्तरित होने की तिथि से बैंक द्वारा ऋण की धनराशि में से अनुदान की धनराशि घटाते हुए बची हुई धनराशि पर ब्याज लिया जायेगा।

(iii) बैंक से ऋण लेने की दशा में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी को ऋण की धनराशि का कम से कम 20 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी तथा लाभार्थी अंश के ऋण पर कृषक उत्पादन संगठनों/कृषकों को कृषि अवस्थापना कोष (एग्रीकचरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) तथा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से नियमानुसार 06 प्रतिशत के ब्याज में छूट का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

(iv) लाभार्थी संबंधित जिले का हो।

(v) सहकारी समिति/एफ0पी0ओ0 की स्थिति में सोसाइटी पंजीकरण एक्ट/कम्पनी एक्ट में टोकन निकालने से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

(vi) लाभार्थी की स्वयं की अथवा कम से कम 10 वर्ष के लिए वैध पट्टे की भूमि का होना आवश्यक है जिस पर विभागीय निर्देशानुसार शेड आदि का निर्माण लाभार्थी द्वारा कराया जाएगा, जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना होगी, जहॉ कृषि यंत्रों एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा।

(vii) कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली मशीनों के रख-रखाव आर0टी0ओ0 पंजीयन, बीमा, शेड निर्माण एवं आवश्यकता हेतु भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/लाभार्थी/समिति को स्वयं करनी पड़ेगी। अनुदान केवल यंत्रों की लागत पर देय होगा।

(viii) इच्छुक पंजीकृत लाभार्थी/समिति को विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप आवश्यक अभिलेखों की स्वत: प्रमाणित प्रतियॉ लगाकर ऑन लाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का जिले का निवास प्रमाण प्रमाण पत्र (समूह होने पर अध्यक्ष का) एवं भूमि अभिलेख की प्रतियॉ शामिल होंगी। आवेदन के समय मूल प्रतियों के साथ मिलान कर प्रथमदृष्टया पूर्ण होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन कृषि विभाग के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक व्यक्तिगत/ऑन-लाइन जमा किए जायेंगे।

(ix) कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) का **upfposhakti.com** पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(x) आवेदन के साथ एक सहमति पत्र (रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर) भी लगाना अनिवार्य होगा। नोटरी का प्रारूप संलग्न है।

(xi) बैंक से ऋण लेने की दशा में कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु चयनित आवेदक/समिति द्वारा यंत्रों के क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र उप कृषि निदेशक द्वारा संस्तुति सहित पोषित बैंक शाखा को अग्रसारित किए जायेंगे। आवेदन प्रस्तुत करते समय उप कृषि निदेशक को यह ध्यान रखना होगा कि प्रकरण उनके द्वारा इंगित बैंक के कार्य क्षेत्र में आता हो। आवश्यकतानुसार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर बैंक में प्रस्तुत करना होगा। बैंक से परियोजना स्वीकृत होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी। बैंक से ऋण लेने वाली लाभार्थियों को कृषि अवस्थापना कोष (एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) अन्तर्गत लाभार्थी कृषक अंश के ऋण पर अनुमन्य 03 प्रतिशत ब्याज पर छूट का लाभ भी अनुमन्य कराने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(xii) कृषि विभाग शीघ्र ही उन यंत्रों के संचालन के लिए एक युक्ति-संगत किराये की सीमा निर्धारित करेगा, जो बाजार के रेट से 20 से 25 प्रतिशत कम हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

(xiii) कस्टम हायरिंग सेन्टर में नए यंत्र कृषकों को किराए पर देते समय व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी द्वारा किराए पर दिए जाने वाले यंत्रों में कम से कम 50 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को तथा एफ0पी0ओ0, सहकारी समितियों द्वारा कम से कम 75 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराने में दी जाएगी।

7.5 **<u>कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु निम्न अभिलेख रखें जायेंगे:-</u>**

(i) उपस्थिति रजिस्टर।

(ii) बैठक रजिस्टर (समिति की नियमित बैठक को तथा बैठक की कार्यवाही अंकित हो), यदि कृषक समिति को कस्टम हायरिंग केन्द्र आवंटित हो।

(iii) यंत्र रजिस्टर ।

(iv) निर्धारित यंत्रवार किराये की दर।

(v) यंत्र मूवमेन्ट रजिस्टर।

(vi) किराये की रसीद।

(vii) बहीखाता।

(viii) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र के निरीक्षण तथा सत्यापन के समय अभिलेखों का विशेष निरीक्षण किया जाएगा तथा सुझाव भी अंकित किये जायेंगे। शासनादेश संख्या: 1430/12-3-2020-100(30)/2018, दिनाँक 06 अक्टूबर, 2020 के अनुसार यंत्रों के क्रय में किसी प्रकार के दुरूपयोग एवं डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सत्यापन के दौरान बिल में अंकित यंत्र का सी0एम0एल0 नम्बर उत्कीर्ण (Embossed) सीरियल नम्बर एवं निर्माता कम्पनी का नाम अवश्य चेक किया जाए। यंत्रों की दशा भी देखी जाए कि यह यंत्र नया है अथवा पुराना या चला हुआ तो नहीं है। यंत्र के पुराना होने की किसी भी प्रकार की शंका होने पर विभागीय पोर्टल से यह चेक कराया जाए कि यंत्र का सी0एम0एल0 नम्बर तथा सीरियल नम्बर पूर्व में क्रय तो नहीं किया गया है। ऐसी दशा में संबंधित यंत्र का ई-वे बिल डीलर के यहाँ चेक किया जाए तथा इसका यंत्रानुसार मिलान व्यापार कर विभाग से जी0एस0टी0 में प्रस्तुत विवरण कराया जाए। उपरोक्त प्रक्रिया हेतु कृषक को किसी भी दशा में परेशान न किया जाए।

8. **<u>हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना:-</u>**

विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान देय है। कम फार्म पावर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे किसान इन केन्द्रों से किराए पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

8.1 **<u>उद्देश्य:-</u>**

(i) विकास खण्ड/गांव स्तर पर कम फार्म पावर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।

(ii) कृषि के विभिन्न कार्यो के निष्पादन हेतु संबंधित कृषि यंत्रों को किराए पर सेवा उपलब्ध कराना।

(iii) लघु एवं सीमान्त जोतों को फसलों के मौसम में यंत्रीकरण की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना।

(iv) हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर कृषि यंत्रों एवं मशीनों के क्रियान्वयन एवं मरम्मत प्रक्रिया हेतु कृषि यंत्र निर्माताओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों का सहयोग प्राप्त करना।

(v) फसल उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत एवं आधुनिकतम विकसित कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।

8.2 **<u>लाभार्थी:-</u>**

हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।), पंजीकृत कृषक सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) लाभार्थी हों। हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना की बुकिंग में लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक सहकारी समिति एवं एफ0पी0ओ0 को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिये भी प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

8.3 **<u>परियोजना लागत</u>**:-

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु रू0 100.00 लाख तक के परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40.00 लाख) अनुदान देय होगा।

8.4 **<u>हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु निर्धारित यंत्र व प्रक्रिया:-</u>**

http://shasanadesh.up.gov.in

हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु निर्धारित यंत्र व प्रक्रिया कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना में निर्धारित प्रक्रियानुसार होगी।

8.5 **<u>हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की संरचना एवं संचालन का क्षेत्र</u>**:

(i) चिन्हित जनपदों में प्रमुख एवं मूल्यवान फसलों के अनुसार राज्य में हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग स्थापित किए जायेंगे।

(ii) जनपदों में स्थापित प्रत्येक हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग के अन्तर्गत क्रय किए गए कृषि यंत्रों/उपकरणों की फसल ऋतु में कम से कम 500 हेक्टेयर को कवर करने की क्षमता होनी चाहिए।

(iii) **हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु ग्राम/कस्बों का निम्नलिखित माप दण्डों के अनुसार चयन किया जाएगा**:-

(क) नगदी एवं प्रमुख फसलों का बाहुल्य क्षेत्र।

(ख) उच्च सम्भावित क्षेत्र।

(ग) बायो एनर्जी प्लांट स्थापित क्षेत्र।

(घ) हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग स्थापित किए जाने हेतु कृषक, सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) लाभार्थी आवेदन करेगें।

(च) समय-समय पर हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग का रख-रखाव एवं उन्नत करना आवश्यक होगा।

9. **<u>फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना:-</u>**

9.1 एफ0पी0ओ0/सहकारी समिति/गन्ना समिति एवं पंचायत जिन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन योजनान्तर्गत ऑन-लाइन टोकन प्राप्त किया है उन्हें एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत रू0 10 लाख तक की लागत पर अनुमन्य 80 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रू0 8 लाख) प्राप्त होगा। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अन्तर्निहित उद्देश्य फसल अवशेष को समुचित प्रकार से निस्तारित करना और जलाये जाने से बचाना है, जो एक समयबद्ध कार्यक्रम होता है। अत: उक्त योजनान्तर्गत ऑन-लाइन प्राप्त टोकन के क्रम में यदि टोकन निर्गत होने की 45 दिन की अवधि में संबंधित द्वारा इस योजना (SMAM) से संबंधित यंत्र क्रय नहीं किए जाते हैं तो उपरोक्त टोकन निरस्तीकरण तत्काल करते हुए तद्नुसार प्रतीक्षा सूची एवं अवशेष रह गए लक्ष्य के सापेक्ष SMAM योजनान्तर्गत नवीन रूप से इस कार्य योजना के क्रम में प्राप्त आवेदन को सम्मिलित करते हुए लाभार्थियों का चयन इस योजना हेतु किया जायेगा।

9.2 आकांक्षात्मक जनपद हेतु निर्धारित रू0 10.00 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 80 प्रतिशत अनुदान देय हागा। इस हेतु सहकारी समिति एवं एफ0पी0ओ0 ही लाभार्थी होंगे।

9.3 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु यंत्रों का निर्धारण क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों/आवश्यकता को देखते हुए लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाएगा तथा यह ध्यान रखा जाएगा कि एस0एम0ए0एम0 योजना के सभी कृषि यंत्रों का भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 (FMTTI) एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। इसमें जुताई, बुवाई, कटाई, सिंचाई, मड़ाई, छिड़काव, समतलीकरण, निराई, गुड़ाई एवं प्रसंस्करण/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इत्यादि मशीनों को यथावश्यक सम्मिलित किया जा सकता है।

10. **<u>जी0पी0एस0 की अनिवार्यता:-</u>**

योजनान्तर्गत क्रय किए जाने वाले समस्त ऐसे कृषि यंत्र/मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, कम्बाइण्ड हार्वेस्टर आदि अन्य ऐसे यंत्र जो ट्रैक्टर के साथ चलायमान होते हैं एवं उनमें जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की सुविधा तकनीकी रूप से प्रचलित है, ऐसे सभी यंत्रों को उक्त जी0पी0एस0 सुविधा के साथ ही क्रय किया जायेगा। साथ ही संबंधित लाभार्थी द्वारा इस आशय का भी अनुबंध पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि उपरोक्त जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की सुविधा सतत रूप से लाभार्थी द्वारा अनुरक्षित रखी जायेगी तथा विभाग द्वारा इस विषयगत बनायी गयी आई0टी0 सिस्टम में उक्त जी0पी0एस0 के माध्यम से संकलित होने वाले डाटा हेतु सतत रूप से पूर्ण सहयोग किया जायेगा और स्वंय अपने खर्चे पर उपरोक्त जी0पी0एस0 का डाटा विभाग के उक्त पोर्टल हेतु उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

11. <u>प्रशासनिक व्यय</u>:-

योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की धनराशि का उपयोग सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रचार-प्रसार तथा योजना संचालन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय पर किया जा सकेगा।

http://Sfmsamadhan.up.gov.in

12. **<u>फलैक्सी फण्ड:-</u>**

(i) कृषि विभाग के ट्रेनिंग सेण्टर्स एवं प्रक्षेत्र पर प्रदर्शन हेतु यंत्रों का क्रय कर उपलब्ध कराना।

(ii) कृषकों/विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक्सपोजर विजिट कराया जाना।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन।

(iv) कृषि यंत्रों के नवीन तकनीकी प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक्सपोजर विजिट कराया जाना।

(v) कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश स्तर, जनपद स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन कराया जाना।

13. **<u>अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व</u> :-**

13.1 कार्य योजना एवं जनपदवार यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेन्टर के लक्ष्य कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किए जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार उनके स्तर से ही इनमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

13.2 कृषि यंत्रों के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की समय से पूर्ति शत-प्रतिशत करने के लिए पूर्ण- रूपेण उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

13.3 समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/टास्क फोर्स अधिकारी भ्रमण के समय /जनपद स्तर पर कृषि यंत्र वितरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

13.4 संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि भवन, लखनऊ कृषि यंत्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे।

13.5 जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों के मध्य **upyantratracking.in** पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर से ही कृषि यंत्र क्रय किए जायें, का प्रचार-प्रसार कराया जाए। upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर के अतिरिक्त अन्य किसी भी निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर से कृषकों द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।

13.6 समस्त सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं upyantratracking.in पोर्टल पर कृषक लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए यंत्रों के वितरण, डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा पोर्टल पर फीड किए जायेंगे। फीड किए गए विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों का स्थलीय सत्यापन में प्राप्त विवरण से मिलान कर सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा सत्यापन रिपोर्ट upyantratracking.in पोर्टल पर फीड कर सत्यापन रिपोर्ट प्रिन्ट करके हस्ताक्षर सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपदीय उप कृषि निदेशक को प्रेषित की जाएगी।

13.7 समयान्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी तथा सत्यापन के समय यंत्र उपलब्ध न होने की दशा में लाभार्थी का टोकन निरस्त करते हुए कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया जाएगा।

13.8 बिल एवं अभिलेख अपलोड करने के 15 दिवस के अन्तर्गत उसी वरीयता क्रम में यंत्र का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने की जिम्मेदारी जनपदीय उप कृषि निदेशक की होगी। अन्यथा की स्थिति प्रकाश में आने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

13.9 जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर के लाभार्थियों के अनुदान का भुगतान मशीनों के रख-रखाव हेतु शेड, 10 वर्ष के लिए वैध पट्टे की भूमि एवं फार्म मशीनरी संचालन हेतु आवश्यक अभिलेखों (यंत्र रजिस्टर, निर्धारित यंत्रवार किराया, यंत्र मूवमेंट रजिस्टर, बहीखाता इत्यादि) इत्यादि उपलब्ध होने पर किया जाए।

14. **<u>अन्य निर्देश:</u>**

14.1 जो किसान ऋण लेते हैं उन्हें ए0आई0एफ0 से अनिवार्य रूप से आच्छादित करने हेतु उप कृषि निदेशक का दायित्व होगा। कृषकों तथा एफ0पी0ओ0 को ऋण प्राप्त होने पर ए0आई0एफ0 तथा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज उपादान मिलेगा, इस लाभ का उल्लेख विज्ञापन में भी होगा।

14.2 कृषि उत्पादन संगठनों को पृथक से लक्ष्य निर्धारित हैं। सक्रिय संगठनों को ही इस योजना का लाभ दिया जाये। ऐसे संगठन जो मात्र एफ0एम0बी0 पाने हेतु पंजीकृत हुए हैं, उनको हतोत्साहित किया जाये। केन्द्र/राज्य पोषित

http://Shsmadesh.up.gov.in

योजना से आच्छादित संगठन स्वत: ही पात्र होंगे। स्वत: पंजीकृत होने वाली संगठन की पात्रता का निर्धारण उक्त के क्रियाशील रहने की अवधि, एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पूर्ण विवरण की उपलब्धता, न्यूनतम सदस्यता, अंशपूंजी के आधार पर निर्धारित होगी, जिसके विषयगत पृथक से निर्देश निर्गत होंगे।

14.3 फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेन्टर के जनपद के अब तक के समस्त लाभार्थियों की सूची पते तथा मोबाइल नवम्बर के साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय में तथा विकास खण्ड के भीतर एवं कृषि कल्याण केन्द्र या बीज गोदाम पर बोर्ड तैयार कर कृषकों की सूची लगायी जाये।

14.4 पोर्टल पर निम्नवत सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी:-

I- समस्त कृषकों का ओ0टी0पी0 आधारित लॉग-ईन होगा।

II- योजना का संचालन करने वाले समस्त अधिकारियों का ओ0टी0पी0 आधारित लॉग-इन होगा।

III- कृषक डेटा बेस में कोई भी बदलाव कृषक के द्वारा शपथ पत्र सहित दिये गये आवेदन के आधार पर अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् केवल अधिकृत ओ0 टी0 पी0 आधारित यूजर नेम द्वारा किया जाएगा।

IV- डेटा बेस में किसी भी बदलाव का लॉग रखा जाएगा, जिसमें बदलाव से पहले और बाद का विवरण, किसके द्वारा किस आई0पी0 एड्रेस द्वारा किया गया, उक्त का विवरण रक्षित होगा।

V- आवेदक द्वारा जिस लैपटाप/कम्प्यूटर/मोबाइल से आवेदन किया जाता है, उक्त का आई0पी0 एड्रेस रक्षित किया जाएगा।

VI- एन0आई0सी0 से समय-समय पर परामर्श प्राप्त किया जाएगा, तथा उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन होगा।

14.5 विभागीय सर्वर की क्षमता ऐसी होगी, जिससे बुकिंग में समय न लगे।

14.6 केन्द्र सरकार की योजना से संबंधित अन्य दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जायेगा। इस शासनादेश में दिये गये निर्देश सामान्य निर्देश हैं, यदि इन निर्देशों तथा केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों में विरोधाभास होता है, तो केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश ही मान्य होगें।

15. नवीन विज्ञापन नवम्बर, 2022 के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित किया जाये उक्त के पश्चात पोर्टल नवम्बर, 2022 के मध्य से क्रियाशील किया जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 91**/2022 /1395189(1)/12-3099/71/2021 तददिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान का पैटर्न (धनराशि रूपए में)					
क्र0सं0	कृषि यंत्र का प्रकार	एस0सी0/एस0टी0 लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत	अन्य कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र	अन्य कृषक लाभार्थी हेतु अधिकतम अनुदान का प्रतिशत
1	पशु चालित	10000	50 प्रतिशत	8000	40 प्रतिशत
2	विकल्प साइथ	2000	50 प्रतिशत	1600	40 प्रतिशत
3	चैफ कटर	5000	50 प्रतिशत	2000	40 प्रतिशत
4	ड्रम सीडर	4000	50 प्रतिशत	3000	40 प्रतिशत
5	हस्तचालित स्प्रैयर	750	50 प्रतिशत	600	40 प्रतिशत
6	इको फ्रेन्डली लाइट ट्रैप	1500	50 प्रतिशत	1200	40 प्रतिशत
अ	शक्ति चालित कृषि यंत्र				
7	चिजेल प्लाऊ	20000	50 प्रतिशत	16000	40 प्रतिशत
8	डिस्क प्लाऊ	30000	50 प्रतिशत	25000	40 प्रतिशत
9	लेजर लैण्ड लेवलर	200000	50 प्रतिशत	160000	40 प्रतिशत
10	पोस्ट होल डीगर	40000	50 प्रतिशत	32000	40 प्रतिशत
11	पोटैटो प्लान्टर	40000	50 प्रतिशत	32000	40 प्रतिशत
12	पोटैटो डीगर	40000	50 प्रतिशत	32000	40 प्रतिशत
13	शुगर केन कटर प्लान्टर	75000	50 प्रतिशत	60000	40 प्रतिशत
14	शुगर केन थ्रेस कटर	40000	50 प्रतिशत	30000	40 प्रतिशत
15	शुगर केन रेटून मैनेजर	125000	50 प्रतिशत	100000	40 प्रतिशत
16	हैरो	30000	50 प्रतिशत	25000	40 प्रतिशत
17	कल्टीवेटर	30000	50 प्रतिशत	25000	40 प्रतिशत
18	रिजर	30000	50 प्रतिशत	25000	40 प्रतिशत
19	पावर स्प्रेयर	3800	50 प्रतिशत	3000	40 प्रतिशत
20	मल्टी क्राप थ्रेसर	40000	50 प्रतिशत	30000	40 प्रतिशत
21	पावर चैफ कटर	28000	50 प्रतिशत	22000	40 प्रतिशत
22	स्ट्रा रीपर	75000	50 प्रतिशत	60000	40 प्रतिशत
23	ब्रस कटर	30000	50 प्रतिशत	25000	40 प्रतिशत
24	मिनी राइस मिल	240000	60 प्रतिशत	200000	50 प्रतिशत
25	मिनी दाल मिल	150000	60 प्रतिशत	125000	50 प्रतिशत
26	मिलेट मिल	540000	60 प्रतिशत	450000	50 प्रतिशत
27	सोलर ड्रायर	350000	60 प्रतिशत	300000	50 प्रतिशत
28	ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस	300000	60 प्रतिशत	250000	50 प्रतिशत
29	पैकिंग मशीन	300000	60 प्रतिशत	240000	50 प्रतिशत
30	रोटावेटर	42000	50 प्रतिशत	34000	40 प्रतिशत
31	रेज्ड वेड प्लान्टर	40000	50 प्रतिशत	32000	40 प्रतिशत

http://shivanadm.up.gov.in

32	ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर	37000	50 प्रतिशत	28000	40 प्रतिशत
33	ब्रिकेट मेकिंग मशीन	290000	50 प्रतिशत	232000	40 प्रतिशत
34	यूरिया डीप प्लेसमेन्ट एप्लीकेटर	75000	50 प्रतिशत	60000	40 प्रतिशत
35	ट्रैक्टर आपरेटेड हार्वेस्टर कम स्ट्रा कलेक्टर	350000	50 प्रतिशत	280000	40 प्रतिशत
36	बैक हो लोडर डोजर (ट्रैक्टर आपरेटेड)	350000	50 प्रतिशत	280000	40 प्रतिशत
ब	सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र				
37	पावर टीलर	85000	50 प्रतिशत	70000	40 प्रतिशत
38	पावर वीडर	25000	50 प्रतिशत	20000	
39	कम्बाइन्ड हार्वेस्टर विद सुपर एस0एम0एस0	856000	50 प्रतिशत	685000	40 प्रतिशत
40	राइस ट्रान्सप्लान्टर	150000	50 प्रतिशत	120000	40 प्रतिशत

http://shasanadesh.up.gov.in